



कार्यालय वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड,  
हल्द्वानी (नैनीताल)



अरण्य भवन, रामपुर रोड, हल्द्वानी (नैनीताल) दूरभाष/फैक्स : 05946-220003 ई.मेल : cfwkum-forest-uk@nic.in. 2023.

पत्रांक

1299

/28-1

हल्द्वानी, दिनांक, जनवरी, 28

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,  
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फौरेस्ट कालोनी,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:-

मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 310/2013 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल में विधानसभा क्षेत्र लालकुआं के अन्तर्गत हल्द्वानी बाईपास मार्ग से हल्द्वौड़ इण्डियन ऑयल डिपो तक मार्ग के निर्माण हेतु 12.33 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

संदर्भ:-

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या 8बी/यू0सी0पी0/06/105/2020/एफ.सी./665 दिनांक 08.08.2022 तथा आपकी पत्र संख्या 476/FP/UK/ROAD/29571/2017 दिनांक 18.08.2022।

महोदय,

संदर्भित पत्र से विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार द्वारा लगायी गयी, जिसके क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी द्वारा अपनी पत्र संख्या 4287/12-1 दिनांक 21.01.2023 से आपत्ति का प्रतिउत्तर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र०सं०	शर्त	
1	बिन्दु संख्या-01 के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा यह आश्वस्त कराया गया है कि यथानुसार प्रस्तावित डी0पी0आर0 में Structures and Budgetary provision कर लिया जायेगा किन्तु राज्य सरकार द्वारा बिन्दु संख्या 01 के संदर्भ में सम्पूर्ण विस्तृत जानकारी इस कार्यालय में प्रेषित नहीं की गयी है।	<p>प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण के अनुसार हल्द्वानी बाईपास में हल्द्वौड़ इण्डियन ऑयल डिपो तक प्रस्तावित मोटर मार्ग से गौला नदी का तट अलग-अलग स्थानों पर न्यूनतम 392 मी० है तथा अधिकतम 1497 मी०, औसतन 755 मी० पर है अतः गौला नदी से मोटर मार्ग के अपरदन/कटाव/अपक्षरण की कोई संभावना नहीं है।</p> <p>साथ ही अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के संरक्षण में वर्तमान में कोई भी चिरस्थायी नाला या जल प्रवाह नहीं है। भूगर्भवत्ता की आख्या में भी अपरदन नियंत्रण हेतु कोई सुझाव नहीं दिए गए हैं। मार्ग समरेखण में पड़ने वाले कौजवे का निर्माण व निकटवर्ती क्षेत्र में सुरक्षात्मक उपाय किये जाने होंगे, जिसका प्राविधान आगणन में किया गया है। प्रस्तावित मोटर मार्ग के बायीं ओर वन्य जीवों को आबादी क्षेत्र में आने से रोकने के लिये वन विभाग द्वारा 70% से 80% लम्बाई में खाई खोदी गयी है तथा अधिकांश स्थानों पर सोलर फेन्स भी लगाये गये हैं। प्रभाग द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि वर्तमान में आगणन गठन की कार्यवाही गतिमान है, जिसमें खाई की तरफ मोटर मार्ग के अपरदन/कटाव/अपक्षरण से बचाव हेतु आगणन में निम्न मद प्रस्तावित है। प्रति संलग्न है:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>50 मीटर पत्थर की 1.50 मीटर ऊँची दीवार प्रत्येक कि०मी० में।</li> <li>पुराने सूखे जल मार्गों की स्थान पर एहतियान अप-स्ट्रीम व डाउन-स्ट्रीम में वायर क्रेट का कार्य प्रस्तावित है साथ ही भूगर्भवत्ता की रॉय के अनुसार मार्ग समरेखण में पड़ने वाले कौजवे का निर्माण व निकटवर्ती क्षेत्र में सुरक्षात्मक उपाय प्रस्तावित है।</li> <li>अवशेष स्थानों में वन्य जीवों के प्रवेश को रोकने के लिये 3 मीटर छोड़ी खाई के कटाव से बचाव हेतु दीवार का निर्माण भी प्रस्तावित है।</li> </ol>

अतः प्रभागीय वनाधिकारी की आख्या मय प्रस्ताव सहित सादर प्रेषित की जा रही है।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(दीप चन्द्र आर्य)

वन संरक्षक,

पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

पत्रांक

1299

उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी को उनकी पत्र संख्या 4287/12-1 दिनांक 21.01.2023 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(दीप चन्द्र आर्य)  
वन संरक्षक,  
पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।



# क्यायलय प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी

शीशमवाग वन परिसर, जेल रोड, शीशमगर, हल्द्वानी, जिला नैनीताल  
E-mail : dfote@rediffmail.com, Phone: 05946-254309, Fax: 05946-250298

सेवा में,

पत्रांक 4287 /12-1 हल्द्वानी, दिनांक 21/01/2023

वन संरक्षक  
पश्चिमी वृत्त  
हल्द्वानी।

विषय:-

मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 310/2013 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल में विधानसभा क्षेत्र लालकुआं के अन्तर्गत हल्द्वानी बाईपास मार्ग से हल्दूचौड़ इण्डियन ऑयल डिपो तक मार्ग के निर्माण हेतु 12.33 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण(online no.FP/UK/road/29571/2017)


संदर्भ:-  
महोदय

आपका पत्रांक-530/12-1 दिनांक-26.12.2022

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा चाही गयी सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है:-

क्र0सं0	शर्त	
1	विन्दु संख्या-01 के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा यह आश्वस्त कराया गया है कि यथानुसार प्रस्तावित डी0पी0आर0 में Strutures and Budgetary provision कर लिया जायेगा किन्तु राज्य सरकार द्वारा विन्दु संख्या 01 के संदर्भ में सम्पूर्ण विस्तृत जानकारी इस कार्यालय में प्रेषित नहीं की गयी है।	<p>प्रयोक्ता अभिकरण ने अपने पत्रांक-2373/दिनांक-14.09.2022 के द्वारा अवगत कराया है कि हल्द्वानी बाईपास में हल्दूचौड़ इण्डियन ऑयल डिपो तक प्रस्तावित मोटर मार्ग से गौला नदी का तट अलग-अलग स्थानों पर न्यूनतम 392 मी0 है तथा अधिकतम 1497 मी0, औसतन 755 मी0 पर है अतः गौला नदी से मोटर मार्ग के अपरदन/कटाव/अपक्षरण की कोई संभावना नहीं है।</p> <p>प्रस्तावित मोटर मार्ग के संरक्षण में वर्तमान में कोई भी चिरस्थायी नाला या जल प्रवाह नहीं है। भूगर्भवेत्ता की आख्या में भी अपरदन नियंत्रण हेतु कोई सुझाव नहीं दिए गए हैं। मार्ग समरेखण में पड़ने वाले कोंजवे का निर्माण व निकटवर्ती क्षेत्र में सुरक्षात्मक उपाय किये जाने होंगे, जिसका प्राविधान आगणन में किया गया है। प्रस्तावित मोटर मार्ग के बायीं ओर वन्य जीवों को आबादी क्षेत्र में आने से रोकने के लिये वन विभाग द्वारा 70 से 80 लम्बाई में खाई खोदी गयी है तथा अधिकांश स्थानों पर सोलर फेन्स भी लगाये गये हैं। वर्तमान में आगणन गठन की कार्यवाही गतिमान है, जिसमें खाई की तरफ मोटर मार्ग के अपरदन/कटाव/अपक्षरण से बचाव हेतु आगणन में निम्न मद प्रस्तावित है। प्रति संलग्न है:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>50 मीटर पत्थर की 1.50 मीटर ऊँची दीवार प्रत्येक कि0मी0 में।</li> <li>पुराने सूखे जल मार्गों की स्थान पर एहतियान अप-स्ट्रीम व डाउन-स्ट्रीम में वायर क्रेट का कार्य प्रस्तावित है साथ ही भूगर्भवेत्ता की रॉय के अनुसार मार्ग समरेखण में पड़ने वाले कोंजवे का निर्माण व निकटवर्ती क्षेत्र में सुरक्षात्मक उपाय प्रस्तावित है।</li> <li>अवशेष स्थानों में वन्य जीवों के प्रवेश को रोकने के लिये 3 मीटर छोड़ी खाई के कटाव से बचाव हेतु दीवार का निर्माण भी प्रस्तावित है।</li> </ol>

संलग्न:-उक्त की मूल प्रति पूर्व में प्रेषित ।



भवदीय


(संदीप कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी,  
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।

पत्रांक 4287 / 12-1 दिनांकित

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण उत्तराखण्ड देहरादून।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी।

  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।